



राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी-विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल—462 011

दूरभाष : (0755) 2768390, 91, 92, 94, 95 फैक्स : 2552363, 2760561

क्रमांक/राशिके/ईएडआर/एकी.शा.नि./एम/2021/5461 भोपाल दिनांक 5.10.2021

प्रति,

कलेक्टर,
समस्त जिले
म0प्र0

विषय: वर्ष 2021–22 में एकीकृत शाला निधि (Composite school grant) के दिशा निर्देश।

समग्र शिक्षा अभियान की गाइड लाइन के अनुसार वार्षिक अनुदान की दरों को शालाओं में दर्ज छात्र संख्या के आधार पर तय किया गया है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत वार्षिक अनुदान में नामांकन के आधार पर निम्नानुसार दरों पर स्वीकृति दी गई है।

शाला का कुल नामांकन	राशि
1–30	10,000
31–100	25,000
101–250	50,000
251–1000	75,000
1001 से अधिक	1,00000

उल्लेखनीय है कि एक परिसर एक शाला के कारण उनके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है। अब एकीकृत शालाएं कक्षा 01 से 08, कक्षा 06 से 10, कक्षा 06 से 12, कक्षा 01 से 10 एवं कक्षा 01 से 12 की हो गई है। अतः समग्र शिक्षा अभियान के तहत प्राप्त वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग सभी कक्षाओं के लिए समुचित रूप से किया जाना होगा।

विद्यालय की आवश्यकता एवं सामाजिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए शाला प्रबंध समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के द्वारा अनुपातिक रूप से किया जाना है। शाला प्रबंध समिति/शाला प्रबंधन एवं विकास समिति के अनुमोदन उपरांत राशि व्यय की जा सकेगी।

शाला को प्रदाय अनुदान की कुल राशि में से न्यूनतम 10 प्रतिशत राशि शाला स्वच्छता हेतु शाला की साफ–सफाई, शौचालय की दैनिक साफ–सफाई, सफाई–सामग्री पर व्यय करना अनिवार्य होगा। इसका हिसाब पृथक से रखा जाएगा। वार्षिक अनुदान की राशि का उपयोग प्राचार्य के कक्ष की सजावट हेतु सामग्री उपकरण हेतु प्रतिबंधित है। सत्र 2021–22 में Covid-19 के सावधानी संबंधी दिशा निर्देश अनुसार गतिविधियों का संचालन किया जाना होगा।

 (1)

विद्यालय के पास पूर्व वर्षों की शेष शाला आकस्मिक निधि की राशि को भी शामिल कर कुल उपलब्ध राशि में से अनुपातिक व्यय हेतु सुझावात्मक गतिविधियां निम्नानुसार हैं:-

स.क्रं.	सुझावात्मक घटक	व्यय हेतु अनुपातिक राशि / प्रतिशत
1	स्वच्छता संबंधी कार्यों के लिए—(Covid-19 संक्रमण के रोकथाम हेतु सावधानी संबंधी निर्देश विस्तृत सुझावात्मक विवरण परिशिष्ट— 'अ' अनुसार)	एकीकृत शाला निधि का 10 %
	भवन का रख-रखाव में प्रयोगशाला उपकरण, पुस्तकालय, उपकरण, फर्नीचर, मरम्मत (विकासखंड से शाला तक पुस्तक परिवहन कक्षा 9-12) पुताई, बिजली बिल, लघु संरचना एवं विद्यालय के सूचना पटल की व्यवस्था। शाला संचालन के समय एवं दैनिक गतिविधियों के अंतर्गत शाला परिसर, शिक्षक एवं विद्यार्थियों की स्वच्छता संबंधी कार्यवाही हेतु व्यय किया जा सकता है।	एकीकृत शाला निधि का 30 %
2	स्कूल चलें हम — ग्राम/वार्ड शिक्षा रजिस्टर को अद्यतन करना, जन शिक्षा योजना का निर्माण शिक्षा चौपाल, मेला, शिक्षा सभा, डॉक्यूमेंटेशन, निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का जन शिक्षा केन्द्र से शाला तक परिवहन।	कुल राशि का 10 %
3	विद्यालय हेतु आवश्यक स्टेशनरी एवं सामग्री क्रय (प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए) हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी के लिए स्थानीय निधि से व्यय किया जाये।	कुल राशि का 5 %
4	शाला प्रबंध समिति की बैठक, (प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय के लिए) शाला में सांस्कृतिक कार्यक्रम, बाल मेला, बाल सभा, मिल बांचे म0प्र0 कार्यक्रम, कहानी उत्सव, शालेय प्रतियोगिता, महापुरुषों की जयंती।	कुल राशि का 5 %
5	राष्ट्रीय दिवस जैसे— छब्बीस जनवरी, पन्द्रह अगस्त, समारोहों का आयोजन एवं प्रसाद वितरण।	कुल राशि का 10 %
6	कलर चॉक, डस्टर, बालक बालिकाओं की पुस्तकों पर आवश्यकता अनुसार कवर, कॉपी, पेन, पेंसिल, रबर, कलर बॉक्स, ड्राइंग बुक, बच्चों को बैठने हेतु प्लास्टिक मेट/दरी, माध्यमिक शालाओं के लिए विज्ञान सामग्री के साथ-साथ Online शैक्षणिक गतिविधियों (Digi LEP) को ध्यान में रखते हुये आवश्यक सामग्री यथा पेन ड्राइंग, Internet, Smart Class से	कुल राशि का 20 %



(2)

संक्र.	सुझावात्मक घटक	व्यय हेतु अनुपातिक राशि / प्रतिशत
	संबंधित व्यय किया जायें। प्रयोगशाला उपकरणों का रख-रखाव/मरम्मत/बदलाव। प्रयोगशाला सामग्री का क्रय (यदि विज्ञान फंड की राशि पर्याप्त न हो तो)	
7	विद्यालय की अन्य आवश्यकता हेतु एसएमसी के निर्णय अनुरूप। विद्युत व्यय का भुगतान राज्य के ग्लोबल बजट से प्रथमतः किया जाना चाहिए। अतिरिक्त आवश्यकता होने पर स्थानीय निधि से व्यय किया जा सकता है। अपरिहार्य परिस्थितियों में विद्युत व्यय का भुगतान किया जा सकेगा।	कुल राशि का 10 %

2/ सत्र 2021-22 में एकीकृत शाला निधि के अतिरिक्त शाला प्रबंधन समिति के खाते में अन्य गतिविधियों हेतु राशि प्रदाय की जायेंगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

संक्र.	गतिविधियां	व्यय हेतु अनुपातिक राशि / प्रतिशत
1	Safety & Security प्रति विद्यालय, प्रति शिक्षक एवं विद्यार्थियों के लिये (परिशिष्ट-अ में उल्लेखित निर्देशानुसार)	प्रति शिक्षक राशि 500/- तथा राशि रु.2000/- प्रति विद्यालय तक, अधिकतम राशि कंडिका-1 के संक्र.-6 के कार्यों हेतु उपलब्ध राशि से व्यय की जा सकती है।
2	बाल सभा की गतिविधियां के आयोजन हेतु।	राशि 1000/- रु. प्रति विद्यालय
3	यूथ एण्ड ईको क्लब के अंतर्गत विज्ञान मित्र क्लब, आसपास की खोज एवं अन्य आवश्यकता अनुसार गतिविधियों के आयोजन हेतु प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला के लिए।	राशि रु. 5000/-प्रति प्राथमिक एवं माध्यमिक शाला को पृथक- पृथक उपलब्ध कराई जायेगी।
4	खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा हेतु प्राथमिक/ माध्यमिक स्तर की शालाओं एवं एक परिसर एक शाला के लिए।	<ul style="list-style-type: none"> • प्राथमिक स्तर हेतु राशि 5000/- रु. • माध्यमिक स्तर हेतु राशि 10000/- रु. • एक परिसर एक शाला (EPES) एवं अन्य शालाओं हेतु राशि 10000/- रु.
5	आत्मरक्षा प्रशिक्षण हेतु जहाँ बालिकाओं का नामांकन अधिक हो (माध्यमिक स्तर)	राशि 9000/- रु.
6	कक्षा 1 एवं 2 के लिये स्लेट/शैक्षणिक	राशि 70 रु. प्रति छात्र की दर से

[Signature] (3)

संक्र.	गतिविधियां	व्यय हेतु अनुपातिक राशि / प्रतिशत
	सामग्री।	उपलब्ध कराई जाये।
7	मूल्यांकन (बेस लाईन, एंड लाईन, प्रतिभा पर्व एवं वार्षिक मूल्यांकन सी.सी.ई.)	राशि 31 रु. प्रति छात्र की दर से उपलब्ध कराई जायेगी।
8	SMC/SMDC के प्रशिक्षण हेतु।	राशि 3000/- रुपये।
9	SMC के सदस्यों को मोटिवेशन यथा जिनके बच्चे की शैक्षणिक सत्र में 95% से अधिक उपस्थित रहते हैं उन्हें कक्षा-1 से 8 में प्रत्येक कक्षा से क्रमशः 01 बालक एवं 01 बालिका के लिए शील्ड, कप एवं प्रमाण पत्र हेतु।	राशि रु. 800/-

- 2.1 उपरोक्तानुसार मदवार राशि का विवरण भारत सरकार द्वारा सत्र 2021-22 के लिए वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत प्रावधान अनुसार है। समग्र शिक्षा अभियान में राशि की उपलब्धता के आधार पर मदवार राशि संबंधित शाला को जारी की जा सकेगी।
- 2.2 उपरोक्तानुसार राशियों के व्यय के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं राशि का आवंटन संबंधित कक्ष के द्वारा जारी किये जायेगे।
- 3/ उपरोक्त के अतिरिक्त एकीकृत शाला निधि से शालेय सुविधाओं के विकास एवं विस्तार हेतु सुझावात्मक दिशा निर्देश निम्नानुसार है:-
- 3.1 विद्यालय में नियमित साफ-सफाई हो, बच्चों को बैठने के लिए प्लास्टिक मेट हो, जो पूरे कमरे के लायक हो, जिस पर बच्चों को पारस्परिक दूरी को ध्यान में रखते हुये बिठाया जा सके तथा जिसे आसानी से साफ भी किया जा सकें।
- 3.2 शासन द्वारा शाला एवं बच्चों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की सूचना शाला से बाहर दीवार बोर्ड पर प्रदर्शित की जाएं ताकि जनसमुदाय, ग्राम के लोगों को इसकी जानकारी हो जाए। इसे शाला की बाहरी दीवार पर काला पेंट पुतवाकर उस पर सफेद पेंट से लिखवायें।
- 3.3 यह भी देखने में आता है, कि अधिकांश बच्चों की किताबें 1-2 माह माह में ही फटने लगती हैं तथा उनके आगे के पाठ गायब हो जाते हैं। अतः यह आवश्यक है, कि सभी बच्चों की पाठ्यपुस्तकों पर कवर चढ़ाने हेतु राशि का व्यय शाला निधि से किया जा सकता है। कवर को सेलोटेप से चिपकाया जाना भी उचित होगा ताकि वह लंबे समय तक टिका रहें।
- 3.4 शाला में तापमापी एवं वर्षा मापक यंत्र की उपलब्धता सुनिश्चित करें ताकि बच्चे उससे दैनिक तापमाप एवं वर्षा की जानकारी प्राप्त कर, उसे अंकित करें तथा उसके माध्यम से नियमित मौसम का ज्ञान प्राप्त करें।
- 4/ क्रय की प्रक्रिया :

यहां यह विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि जरूरी नहीं है कि उपरोक्त समस्त कार्य प्रत्येक शाला में किया जाना आवश्यक हों। सामग्री/कार्य/गतिविधि एवं कार्य की प्राथमिकता/आवश्यकता के आधार पर कक्षा 01 से 08 की शालाओं में पूर्ववत् म0प्र0 भण्डार क्रय

 (4)

नियम तथा अन्य एकीकृत शालाओं में समग्र शिक्षा वित्तीय मैन्युल का पालन करते हुये क्रय किया जायें।

- 4.1 सत्र 2021–22 में एक–परिसर एक शाला हेतु राशि मुख्य शाला के खाते में जारी की जाएगी।
- 4.2 सर्वप्रथम शाला प्रबंध समिति की बैठक (शासन के प्रावधान अनुसार SMDC/SMC) आयोजित की जाकर शाला की वास्तविक आवश्यकता का आकलन किया जाए।
- 4.3 बैठक में ही आवश्यकतानुसार क्या–क्या कार्य/सामग्री क्रय की जाना आवश्यक है, औचित्य के आधार पर इसका निर्णय लिया जाए।
- 4.4 लिए गए निर्णय को शाला प्रबंध समिति की बैठक के कार्यवाही विवरण में दर्ज किया जाकर उपस्थित सदस्यों को पढ़कर सुनाते हुए उनके हस्ताक्षर लिए जाएं।
- 4.5 सामग्री क्रय के बाद अकादमिक समिति के सदस्यों को बुलाकर सामग्री के क्रयादेश के अनुसार सत्यापन करा लें। इसके बाद शाला प्रबंध समिति के सचिव द्वारा उक्त सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज किया जाए। दुकानदार को भुगतान यथा संभव अकाउंट पेयी (रिखांकित) चेक से करें। रूपये 1000/- शाला आकर्षिक व्ययों के लिए विद्यालय के किसी एक शिक्षक को अग्रिम चेक के माध्यम से दिया जायें। उनके द्वारा इस राशि से आकर्षिक व्यय कर देयक प्राप्त करें तथा इस अग्रिम राशि का समायोजन किया जायेगा। राशि रूपये 1000/- (एक हजार रूपये मात्र) से अधिक होने पर बैंक चेक/ऑनलाईन/आर.टी.जी.एस. आदि से ही अनिवार्यतः भुगतान करें।
- 4.6 यदि प्रदाय की गई सामग्री सत्यापन के दौरान क्रय आदेश के अनुसार नहीं पाई जाए तो दुकानदार को इसे लौटाते हुये आदेश के अनुरूप सामग्री प्राप्त करें।
- 4.7 स्व–सहायता समूह के माध्यम से सामग्री क्रय करने को प्राथमिकता दी जायेगी।
- 4.8 भुगतान पश्चात रसीद प्राप्त कर वाउचर फाईल में लगाएं। क्रय सामग्री के बिल, वाउचर, आदि को वाउचर फाईल में संधारित कर क्रय की गई सामग्री को स्टॉक पंजी (भण्डार पंजी) में दर्ज किया जाएंगा। शाला प्रबंध समिति (SMDC/SMC) के सचिव/अध्यक्ष द्वारा अपने हस्ताक्षर से संलग्न निर्धारित प्रारूप में जन शिक्षक के माध्यम से जिला शिक्षा केन्द्र एवं जिला शिक्षा अधिकारी को उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजेंगे। उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी सहायक परियोजना समन्वयक, वित्त एवं अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक की होगी। प्रत्येक शाला से प्रदाय राशि के व्यय का त्रैमासिक उपयोगिता प्रमाण–पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त किया जाएगा तथा उपयोगिता प्रमाण–पत्र के आधार पर व्यय राशि का समायोजन किया जाएगा। सभी शालाओं के उपयोगिता प्रमाण–पत्र क्रम से नस्ती में रखे जाएंगे।

5/ वित्तीय प्रबंधन—

- 5.1 कक्षा 01 से 08 वाली एकीकृत शालाएं म.प्र.भंडार क्रय नियम एवं शेष समस्त एकीकृत शालाओं की शाला प्रबंधन एवं विकास समितियों द्वारा वार्षिक अनुदान की राशि से व्यय हेतु समग्र शिक्षा अभियान के वित्तीय मैन्युल का पालन अनिवार्य होगा।
- 5.2 सत्र 2021–22 में समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत कक्षा–1 से 12, कक्षा–1 से 10, कक्षा–6 से 12, कक्षा–6 से 10 एवं कक्षा–9 से 12 में School Grant की राशि लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा एवं कक्षा 1 से 5, कक्षा 6 से 8 एवं कक्षा 1 से 8 तक प्रारंभिक शिक्षा के लिए स्वीकृत School Grant की राशि राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी की जायेगी।

Amr (S)

Amr
(धनराजू एस)
संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र
04101002

प्रतिलिपि:-

1. निज सचिव, माननीय मंत्री म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
2. प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ।
3. आयुक्त, लोकशिक्षण संचालनालय म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
4. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
5. आयुक्त, समस्त राजस्व संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत समस्त जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संयुक्त संचालक, लोकशिक्षण समस्त संभाग म0प्र0 की ओर सूचनार्थ।
8. जिला शिक्षा अधिकारी / सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग / जिला परियोजना समन्वयक समग्र शिक्षा अभियान समस्त जिले म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. समस्त विकासखंड शिक्षा अधिकारी / विकासखंड स्ट्रोत समन्वयक म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. संस्था प्रधान (प्राचार्य / प्रधानाध्यापक) समस्त प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी शाला म0प्र0 की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

phd (6)

संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

05/10/2021

परिशिष्ट - अ

कोविड 19 के संदर्भ में शालाओं के पुनः प्रारंभ के पूर्व शाला स्वच्छता के Standard Operating Procedures (SOPs) को क्रियान्वयन के संबंध में सुझावात्मक कार्यवाही :-

स.क्र	कोविड 19 अंतर्गत शाला में स्वच्छता का घटक	घटक अंतर्गत विस्तृत विवरण
1.	स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता एवं संधारण	<ul style="list-style-type: none"> सभी शालाओं में सुरक्षित पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करें पेयजल को जमीन से ऊचे स्थान पर स्वच्छता के साथ भरकर रखें। लंबी डण्डी वाला लोटा बच्चों की पहुँच में हो। पेयजल के आस-पास एवं टोटी को समय-समय पर विसंक्रमित करें। सभी विद्यार्थियों को घर से अपनी पानी की बोतल लाने को प्रेरित करें। शिक्षकगण पानी की बोतल को स्वच्छ बनाये रखने का प्रशिक्षण सभी विद्यार्थियों को देवें। कोविड 19 संक्रमण के दौरान विद्यार्थीगण अपनी पानी की बोतल, ग्लास अन्य बर्तन दूसरे विद्यार्थियों के साथ साझा नहीं करें।
2.	शाला के पृथक-पृथक शौचालयों का संधारण एवं रख-रखाव	<ul style="list-style-type: none"> शाला में उपलब्ध बालक एवं बालिकाओं के शौचालयों को विशेष रूप से स्वच्छता के साथ संधारित किये जावें, उन्हें सदैव क्रियाशील रखते हुए समय-समय पर विसंक्रमित किया जावें। कोविड 19 अंतर्गत यह आवश्यक है कि विद्यार्थियों द्वारा शाला शौचालय के उपयोग के दौरान भौतिक दूरी का पालन, अनुशासन के साथ किया जावें। शौचालयों में पर्याप्त मात्रा में सफाई सामग्री, पानी एवं साबुन की उपलब्धता रखें। शौचालय के उपयोग पश्चात् प्रत्येक विद्यार्थी/शिक्षक अगले उपयोगकर्ता हेतु शौचालय को स्वच्छ बनाये रखते हुये प्रत्येक उपयोग पश्चात् अपने हाथ साबुन से अच्छे से धोयें। शौचालयों के मूत्रालय इकाई का उपयोग करते हुये विद्यार्थीगण भौतिक दूरी का विशेष रूप से पालन करें। शौचालय में सदैव प्लास्टिक लगी हुई ढक्कन सहित कूड़ेदान होना आवश्यक है। इस कूड़ेदान में उपयोग किये गये वेस्ट सामग्री, उपयोग किये गये मास्क, कपड़ा विसंक्रमित किये गये पोछा, सामान का निस्तारण किया जावें। शाला के वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों को शाला शौचालय का रख-रखाव, संधारण एवं अन्य सफाई व्यवस्था निगरानी हेतु बारी-बारी से जिम्मेदारी दी जावें। शाला के शौचालयों की नियमित साफ-सफाई की व्यवस्था होना आवश्यक है। सफाई कर्मी द्वारा सुरक्षा उपकरण जैसे हैंड ग्लोबस्, मास्क, रबर बूट का उपयोग करना अनिवार्य करें।
3.	शाला में साबुन हाथ धुलाई	<ul style="list-style-type: none"> कोविड 19 अंतर्गत शाला समुदाय में उपस्थित सभी के

[Signature]

	<p>की व्यवस्था एवं संधारण</p>	<p>हाथों की स्वच्छता बनाये रखना अतिआवश्यक है।</p> <ul style="list-style-type: none"> शाला में साबुन से हाथ धोने की इकाई/व्यवस्था अतिआवश्यक है। विभिन्न अवसरों पर विशेष रूप से भोजन के पहले, शौचालय के उपयोग पश्चात् एवं खाँसने एवं छीकने के पश्चात्, खराब सतह को छूने के पश्चात्, खैलने के पश्चात् शाला में साबुन से हाथ धोने की सभी को आदत होना चाहिए। चाइल्ड कैबिनेट एवं वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थीगण इस कार्य में सहयोग एवं मॉनिटरिंग करें। हाथ धोने की सही विधि का डेमो समय—समय पर शिक्षक एवं वरिष्ठ विद्यार्थियों द्वारा किया जावें। हाथ धोने का विभिन्न चरणों का चित्र/पोस्टर उचित स्थान पर अवश्य लगाया जावें। शाला में हाथ धुलाई हेतु पानी एवं यथा संभव तरल साबुन की व्यवस्था इस प्रकार की जावें जिससे बार-बार उसे छूना नहीं पड़े। मध्याह्न भोजन के पहले साबुन से हाथ धोने के दौरान विद्यार्थियों द्वारा भौतिक दूरी का पालन अवश्य किया जावें।
4.	<p>कोविड 19 अंतर्गत शाला में शिक्षकों एवं विद्यार्थियों द्वारा स्वसन तंत्र की स्वच्छता</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोविड 19 के संक्रमण काल के दौरान यह आवश्यक है कि सभी विद्यार्थी एवं शिक्षक खाँसते एवं छीकते वक्त कोहनी का उपयोग करें, खाँसने एवं छीकने के पश्चात् साबुन से हाथ धोएं। अपने चेहरे पर मुँह एवं नाक को ढकते हुये मास्क/रुमाल/गमछे का उपयोग करें। शाला के पूरे कार्य दिवस में इसका उपयोग कर स्वच्छता बनाये रखें। शिक्षक एवं वरिष्ठ छात्रों द्वारा अन्य विद्यार्थियों को मास्क/रुमाल/गमछे की स्वच्छता के साथ उपयोग करने एवं स्वच्छता से रख—रखाव हेतु जानकारी दी जावें।
5.	<p>कोविड 19 अंतर्गत शाला संचालन के पूर्व विसंक्रमित करना।</p>	<ul style="list-style-type: none"> कोविड 19 के अंतर्गत नवीन सत्रारंभ के संचालन के पूर्व सभी शालाओं में पेयजल स्तोत्र, शौचालयों, हाथ धुलाई का स्थान, कक्षायें, मध्याह्न भोजन के स्थान एवं सम्पूर्ण परिसर को विसंक्रमित करें। इस हेतु राशि रूपये 1000/- प्रति शाला (अधिकतम) कम्पोजिट ग्रांट से व्यय कर समर्त शालाओं में विसंक्रमण करवाया जा सकता है। विशेष:- आपके जिले की किसी शाला/छात्रावास को जिला प्रशासन द्वारा Quarantine/Isolation हेतु अधिग्रहित किया गया है, तो शाला प्रारंभ के पूर्व संपूर्ण परिसर, जल स्त्रोतों, शौचालयों एवं साबुन से हाथ धोने की व्यवस्था को लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के कोविड 19 के अंतर्गत प्रोटोकॉल अनुसार विसंक्रमित करवाए तत्पश्चात् शाला अपने स्तर से पुनः विसंक्रमण उपरांत ही परिसर को उपयोग में लेवें।
6.	<p>कोविड 19 अंतर्गत शाला में तरल एवं ठोस अपशिष्ट का</p>	<ul style="list-style-type: none"> शाला परिसर, कक्षाओं एवं शौचालयों में ढक्कन वाली डस्टबिन रखी जावें।

Ame

	निपटान।	<ul style="list-style-type: none"> प्रतिदिन एकत्रित होने वाला कूड़ा कचरा को सुरक्षित तरीके से ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय/मुन्सीपल कॉरपोरेशन के ठोस अपशिष्ट निपटान से लिंक कर निस्तारित करें। शाला में हाथ धुलाई इकाई/व्यवस्था तथा शौचालय एवं मध्याह्न भोजन रसोई से निकलने वाला अपशिष्ट जल का निपटान सोकपिट/ड्रेनेज में किया जावे। माध्यमिक शालाओं, हाई स्कूल एवं हायर सेकेप्डरी शालाओं में किशोरी बालिकाओं द्वारा उपयोग किये गये सैनेटरी उत्पादकों का इंसीनेटर या डीप बरियल पीट में विनिष्टीकरण किया जावे।
7.	कोविड 19 अंतर्गत नवीन व्यवहारों को सीखना एवं सभी के द्वारा अनुसरण	<ul style="list-style-type: none"> कोविड 19 संक्रमण से फैलने वाली बीमारी है इसलिए खांसते एवं छीकने समय, कोहनी का उपयोग करे तथा अनिवार्यता मास्क को लगाये। प्रत्येक दो से तीन घंटे बाद हाथों को अच्छे से साबुन से धोए या हाथ सैनेटाइज करें। सभी विद्यार्थियों द्वारा अनिवार्यता अपनी पानी की बोतल का उपयोग किया जावे। अपनी वस्तुएँ जैसे कॉफी, किताबें, रबर, पैन्सिल, बैग, अन्य सहपाठियों के साथ साझा नहीं करें। मध्याह्न भोजन में उपयोग थाली काटोरी ग्लास को स्वयं धोकर एक स्थान पर रखें, मध्याह्न भोजन की सहायीकाओं द्वारा उन्हें सैनेटाइज किया जावे। विशेष ध्यान रखें की शाला परिसर में कोई इधर-उधर थूके नहीं तथा वरिष्ठ कक्षाओं के विद्यार्थियों/चाइल्ड कैबिनेट इसका ध्यान रखें एवं मॉनिटरिंग करें। शाला में विद्यार्थियों के अस्वस्थ होने पर तत्काल पालक एवं स्थानीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता को सूचित करें एवं शाला में रिकार्ड रखें। कोविड 19 के अंतर्गत समस्त व्यवहारों एवं अधोसंरचना संबंधी रखरखाव हेतु प्रधान अध्यापक एवं संबंधित मॉनिटर अधिकारी द्वारा शाला शिक्षकों को सतत प्रशिक्षित करें एवं मॉनिटर करें। शाला में सावधानियों एवं सुरक्षात्मक उपकरण जैसे हैंड ग्लोबस, सैनेटाइजर, विसंक्रमण सामग्री, साबुन, पानी की व्यवस्था तरल साबुन, हैंडल ब्रश, वाईपर आदि की उपलब्धता कम्पोजिट स्कूल ग्राण्ड के माध्यम से सुनिश्चित करें।
8.	विद्यार्थियों को रोचक खेल एवं मनोरंजन से जोड़ना।	<ul style="list-style-type: none"> कोविड 19 के दौरान मानसिक तनाव होना स्वभाविक है, इस समय रोचक एवं मनोरंजन इनडोर गैम्स के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़कर मानसिक संबल प्रदान करें। विभाग के निर्देशानुसार शिक्षकगण ऑनलाइन वर्चुअल क्लास, पठन सामग्री तथा व्हाट्सप्प ग्रुप के माध्यम से पाठ्यपुस्तक एवं कॉमिक इत्यादि की उपलब्धता में सहयोग करें।

Shm

		<ul style="list-style-type: none"> ● शाला के उपकरण, खेल सामग्री को उपयोग पश्चात् विसंक्रमित करने के उपरांत ही पुनः उपयोग में लेवें। ● ध्यान रखें कि कोविड 19 दौरान पूर्व संक्रमित छात्र या उनके परिवारजनों के साथ शाला में कोई मजाक/अशिष्टता नहीं करें।
9.	कोविड 19 अंतर्गत शाला परिसर में विशेष संदेशों एवं पोस्टरों का उपयोग	<ul style="list-style-type: none"> ● कोविड 19 अंतर्गत शाला में हाथों की स्वच्छता हेतु साबुन से हाथ धोने के स्टेप्स का पोस्टर, भौतिक दूरी बनाये रखने हेतु निर्देश, शौचालय के रख-रखाव हेतु निर्देश खाँसते एवं छीकते वक्त कोहनी के उपयोग करने का संदेश, सुरक्षित पेयजल एवं परिसर में थूकने पर प्रतिबंध के संदेश लगाये जावे। ● शाला के प्रधान अध्यापक शिक्षकों को कोविड 19 अंतर्गत समाचार, शासन एवं जिला प्रशासन के निर्देशों की जानकारी सदैव अद्यतन रखी जाना चाहिए।
10.	स्कूलों का सुरक्षित संचालन (Safe Operations)	<ul style="list-style-type: none"> ● स्कूलों को फिर से खोलने के लिए प्रभावी चरणवार योजना बनाई जाए। ● जिला शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक यह सुनिश्चित करें कि स्कूल के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक छात्र, शिक्षकों और स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ नियमित संपर्क बनाए रखें और आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य परीक्षण करावयें। ● स्कूल में छात्रों और शिक्षकों के लिए सुरक्षित माहौल होना आवश्यक है, जिससे प्रत्येक बालक एवं बालिकाएं के सीखने की जरूरतों को पूरा किया जा सके।
11.	स्कूल पुनः शुरू होने पर संवाद और समन्वय तंत्र को मजबूत करना। (Strengthen Communication and Coordination Mechanisms)	<ul style="list-style-type: none"> ● शिक्षा के मामलों में समुदायों, अभिभावकों/पालकों और बच्चों के साथ स्थानीय संवाद और जुड़ाव के प्रोत्साहन के लिए संवाद और समन्वय तंत्र को मजबूत किया जाए। ● कोविड-19 की रोकथाम और बचाव की गतिविधियों से जुड़े स्कूल शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, छात्रों, अभिभावकों, पालकों, मददगारों, खाद्य उपलब्ध कराने की व्यवस्था से जुड़े लोगों और समुदायों के लिए आयु-अनुरूप और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील जानकारी पोस्टर, वीडियो आदि अन्य सामग्री का प्रचार के लिए उपयोग सुनिश्चित किया जाए। ● पोस्टर और प्रचार से जुड़ी अन्य जानकारी विभिन्न क्षेत्रों और स्कूल परिसरों (जिसमें किचन और क्लास रुम शामिल हैं) में प्रदर्शित किया जाए।
12.	स्कूल और कक्षा में शारीरिक दूरी बनाएं रखना। (Social Distancing)	<p>स्कूल व कक्षा में शारीरिक दूरी का पालन करने के लिए निम्नलिखित बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाए –</p> <ul style="list-style-type: none"> ● कक्षा की बैठक व्यवस्था में दो छात्रों के बीच एक मीटर की दूरी रखी जाए। ● छात्रों के बीच सुरक्षित दूरी बनाएं रखने के लिए एक कक्षा में लिमिटेड छात्रों को ही रखा जाए।

[Signature]

		<ul style="list-style-type: none"> यदि छात्रों के बीच सुरक्षित दूरी बनाएं रखने में जगह की कमी हो, तो एक दिन छोड़कर (अल्टरनेट डे) कक्षाएं आयोजित करने या पाली में स्कूल खोलने पर विचार किया जाए। शाला के कक्षाओं की बैठक व्यवस्था, मध्यान्तर की समय सारणी, मध्याह्न भोजन की बैठक व्यवस्था, खेल के समय, शाला प्रागंण में घूमना फिरना, लाईब्रेरी का संचालन, पेयजल एवं शौचालय के उपयोग के दौरान एवं साबुन से हाथ धोने के दौरान भौतिक दूरी बनाये रखने आदि हेतु समय सारणी में आवश्यक बदलाव करते हुये विशेष ध्यान दिया जावें। शाला में विद्यार्थियों का नियमित आगमन एवं निर्गम के समय भौतिक दूरी बनाये रखें।
13.	छात्र, शिक्षक या अन्य स्कूल स्टाफ के बीमार होने पर की जाने वाली कार्यवाही।	<ul style="list-style-type: none"> राज्य द्वारा निर्धारित (Standard Operating Procedures (SOPs)) को प्रधानाध्यापक / प्रभारी अध्यापक के साथ शेयर किया जाए। प्रधानाध्यापक राज्य द्वारा जारी किये गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें। छात्र, शिक्षक या अन्य स्कूल स्टाफ में कोविड-19 के लक्षण पाए जाने पर उन्हें घर पर रहने व स्वास्थ्य अधिकारियों से संपर्क करने के लिए सलाह दी जाए। यह बताया जाए कि पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद, वे स्कूल आएं।
14.	'बैक टू स्कूल' कम्युनिकेशन कैपेन ('Back to school' Communication Campaign)	<ul style="list-style-type: none"> बच्चे स्कूल की शिक्षा जारी रख सकें इसके लिए 'बैक टू स्कूल' कम्युनिकेशन कैम्पेन संचालित किया जाए। कोविड-19 से बच्चों में जो डर, भय और चिंता है उसको दूर करने के लिए और बच्चों को नियमित स्कूल आने और पढ़ाई जारी रखने के लिए 'बैक टू स्कूल' कम्युनिकेशन कैपेन किया जाए। 'बैक टू स्कूल' कैपेन में शाला प्रबंधन समितियों, बाल संरक्षण समितियों, पंचायत राज संस्थाओं, स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किशोर समूहों को शामिल कर उनका सहयोग लिया जाए। स्कूल में बच्चों नियमित उपस्थिति हों इसके लिए प्रयास किया जाए। दीक्षा पोर्टल पर उपलब्ध कोविड-19 की रोकथाम एवं शाला में संक्रमण रोकने हेतु उपलब्ध कोर्स माड्यूल सभी शिक्षकों तथा अन्य अधिकारियों निरीक्षणकर्ताओं द्वारा अनिवार्यता किया जावें।
15.	स्कूल चलें हम अभियान	<p>प्रदेश में आयोजित होने वाले स्कूल चलें हम अभियान के अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियों आयोजित की जाए –</p> <ul style="list-style-type: none"> स्कूल में पढ़ रहे बच्चों का अगली कक्षा में प्रवेश सुनिश्चित किया जाए। बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए प्रयास किया जाए। आनंदमयी वातावरण में शिक्षा सत्र का प्रारंभ किया जाए।

[Signature]

		<ul style="list-style-type: none"> इस अभियान में सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित की जाए।
16.	प्रवासी परिवारों के बच्चों एवं आउटऑफ स्कूल बच्चों का नामांकन	<ul style="list-style-type: none"> यह सुनिश्चित किया जाए कि प्रवासी परिवारों के बच्चों का स्कूल में नामांकन हो। इन बच्चों को किसी दस्तावेज के अभाव में स्कूल में नामांकन से वंचित न किया जाए। सर्वे में जो बच्चें आउटऑफ स्कूल पाए जाते हैं उनका नामांकन सुनिश्चित किया जाए। इसमें इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वंचित समुदाय के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो।
17.	सीखने पर फोकस (Focus on learning)	<ul style="list-style-type: none"> बच्चों के सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखा जाए – कोविड-19 बीमारी के कारण बच्चों के लर्निंग लॉस को रिकवर करने के लिए शिक्षकों द्वारा कैचअप कार्यक्रम के रूप में प्रयास किया जाए। बच्चों की लर्निंग रिकवरी में आवश्यक सपोर्ट करने के लिए शिक्षकों, शिक्षक प्रशिक्षकों की क्षमता वृद्धि की जाए। स्कूल खुलने के बाद छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन कर, उसके अनुसार उनके शिक्षण की व्यवस्था की जाए। शिक्षकों द्वारा बच्चों की सामाजिक या भावनात्मक आवश्यकताओं के अनुरूप उनकी मदद की जाए, जिससे वे तनाव मुक्त होकर शिक्षा ग्रहण कर सकें। स्कूल पुनः प्रारंभ होने के बाद भी ब्लॉडेड मॉडल (मिश्रित मॉडल) शिक्षण पद्धति को अपनाया जाए। जिसमें क्लास रूम लर्निंग और सेल्फ/डिस्टेंस लर्निंग दोनों उपयोग में लाया जाए। अति आवश्यक परीक्षा/मूल्यांकन को छोड़कर, अन्य मूल्यांकन/परीक्षाओं को स्थगित किया जाए।
18.	पालकों/अभिभावकों को जागरूक बनाना	<ul style="list-style-type: none"> कोविड-19 बीमारी से उत्पन्न परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए पालकों/अभिभावकों के सहयोग प्राप्त करने के लिए के उन्हें निम्न बिन्दुओं के प्रति जागरूक बनाया जाए – शैक्षणिक गतिविधियों के लिए रिमोट लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग के बारे में अवगत करवाया जाए एवं बच्चों को घर में रिमोट लर्निंग से जुड़ी सुविधाओं को प्रदान करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। शिक्षण पद्धति की इस नई व्यवस्था में अभिभावक/पालक की बच्चों के शिक्षण में सहभागिता किस प्रकार प्राप्त होगी, इसके बारे में उन्हें जागरूक बनाया जाए। जिससे वे बच्चों को आवश्यक सुविधाएँ जैसे मोबाइल आदि का उपयोग करने और उससे जुड़ने में सहयोग करें। स्कूल शिक्षण के बाद बच्चों द्वारा घर में पढ़ाई किया जाना, उनके सीखने के लिए आवश्यक है। अतः इसके महत्व के बारे में अभिभावकों/पालकों को बताया और समझाया जाए।

Aml

19. साइको-सोशल सपोर्ट के लिए शिक्षकों का प्रशिक्षण	<ul style="list-style-type: none"> • कोविड-19 बीमारी से उत्पन्न संकट और तनाव प्रबंधन के लिए शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों को प्रशिक्षण दिया जाए। • इस प्रशिक्षण में निम्नबिन्दुओं का समावेश किया जाए – <ol style="list-style-type: none"> • कोविड-19 के विभिन्न पहलुओं के बारे में अवगत करवाया जाना। • स्कूल बंद होने की स्थिति में छात्रों को तनाव से मुक्ति पाने के लिए साइको-सोशल सपोर्ट (Psychosocial Support) दिया जाए। • बच्चों में तनाव की स्थिति को पहचान पाना और उनको बुनियादी काउंसलिंग दे पाना। • आवश्यकता पड़ने पर काउंसलिंग के लिए रेफरल सुनिश्चित करना। • संकट के प्रभाव से निपटने के लिए स्वयं द्वारा सावधानी बरतने के उपाय। • कोविड-19 बीमारी से सम्बंधित छात्रों के प्रश्नों और शंकाओं को हल करने से जुड़े बिन्दु।
20. स्वास्थ्य और सुरक्षा (Wellbeing & Protection)	<ul style="list-style-type: none"> • बच्चों के साथ होने वाली जेंडर आधारित हिंसा, यौन शोषण और हिंसा (Protection against Sexual Exploitation and Abuse) से बचाव हेतु, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य (Sexual and Reproductive health) आधारित जानकारी पर शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जाए। • यह कंटेंट चाइल्ड फ्रेंडली तरीके से शेयर किया जाए जिससे ये सभी बच्चों के लिए पूरी तरह से सुलभ हो। • स्कूल में आयरन फोलिक एसिड (IFA and WIFS) की गोलियों का वितरण भी सुनिश्चित किया जाए।

उक्त गतिविधियों के क्रियान्वयन में शाला प्रबंधन समिति का सक्रिय सहयोग एवं सहभागिता सुनिश्चित करें। कोविड 19 त्रासदी अंतर्गत शाला सुरक्षा, सावधानियों एवं आवश्यक निर्देशों के क्रियान्वयन में विद्यार्थियों एवं शिक्षकों को संक्रीय रूप से संवेदनशीलता के साथ परस्पर सहयोग करते हुये शाला में कार्य कर स्वच्छता एवं उसका रख-रखाव बनाएं रखते हुये सभी को सुरक्षित रहना है।

phml